

केन्द्रीय सूचना आयोग

बाबा गंगनाथ आर्ग, मुंबई, नई दिल्ली - 110067.

संविदा सं. C/COM/R/2017/01404

दिनांक. 01.12.2017

सेवा में,

श्री राजेश कुमार चित्तौंसिया,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका भैरद्विनांकित आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 20.11.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग में दायराईज हुआ (डायरी सं. 1778132) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 21.11.2017 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में संदर्भ में अवगत बताया जाता है कि आपके द्वारा भर्ती गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है, कृपया सूचना से संबंधित कार्यालय/विभाग में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों/विभागों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । यदि किसी लोक प्रतिकरण/विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हो तो अगले 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में प्रदानावित है, के समक्ष प्रथम अपीलीय दाखिल करें । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हो तो केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपीलीय दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपीलीय प्रपत्र के साथ लोक प्रतिकरण से अधिनियम के प्राधान्यों के अंतर्गत किए गए प्रचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रेक्षावित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिसमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपीलीय आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), परचाल पत्र की प्रतिलिपि के साथ सभी संलग्नकों का कमांक (index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय एवं द्वितीय अपीलीय दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग को संबंधित प्रपत्र के आदेश से स्पष्ट कारण बताते हुए शिकायत दर्ज की जा सकती है । शिकायत पत्र के साथ भी लोक प्रतिकरण से अधिनियम के प्राधान्यों के अंतर्गत किए गए प्रचार की छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ आर्ग, मुंबई, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है ।

(ए. के. शर्मा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,

आर.टी.आई. सेल,

उपस्थान 1-244

